लछमन दास

बनाम

रेशम चंद कलेर और अन्य

जनवरी 23, 2018

[न्यायमूर्तिगण एन 0 वी0 रमन्ना और एस 0 अब्दुल नज़ीर]

जमानत:

भा.दं.सं. की धारा 302, 307, 324, 326, 120 बी, 148 और 149 और आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25, 27, 54 और 59 के तहत अभियोजन –प्रतिवादियों–अभियुक्तों द्वारा दायर जमानत याचिकाएं निचली अदालत द्वारा खारिज कर दी गईं – उच्च न्यायालय ने जमानत दी – शिकायतकर्ता की अपील – निर्णय: आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है – अपराध की गंभीरता कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी) से स्पष्ट है – प्रतिवादी–अभियुक्त (आपराधिक अपील संख्या 161 वर्ष 2018 में) को भारतीय नागरिक नहीं होने के लिए कोई विशेष विचार करने का कोई कारण नहीं है – कानून की नजर में हर आरोपी एक जैसा है, भले ही उसकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो– उन पर आपराधिक साजिश का सरगना होने का आरोप है जो उनसे हिरासत में पूछताछ की मांग करता है– आपराधिक अपील संख्या 162 वर्ष 2018 में आरोपी को उपरोक्त अभियुक्तों के साथ समानता के आधार पर जमानत दी गई – उस आरोपी के जमानत आदेश को रद्द कर दिया गया है, इस आरोपी की जमानत भी रद्द की जा सकती है – आपराधिक अपील संख्या 163 वर्ष 2018 में आरोपी को इस बात पर विचार किए बिना जमानत दे दी गई कि उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था – उनकी जमानत भी रद्द की जा सकती है – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 439 – जमानत रद्द करने की मांग करने वाली अपील और जमानत देने के आदेश को चुनौती देने वाली अपील – के बीच अंतर।

न्यायपालिका:

न्यायिक अनुशासन – निर्णय : उच्च न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह अधीनस्थ न्यायालय को अनिवार्य रूप से जमानत देने का आदेश देने वाला एक अनिवार्य आदेश पारित करे – इस तरह के अनिवार्य निर्देश अधीनस्थ अदालतों की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं – जमानत।

अपीलों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय का

निर्णय :

<u>आपराधिक अपील संख्या 161 वर्ष 2018:</u>

1. प्रतिवादी–अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, क्योंकि याचिका के साथ दायर कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी) में, व्यक्तियों के समूह को घातक हथियारों और लाठियों का उपयोग करके अपराध करते हुए देखा जाता है। सीडी से अपराध की गंभीरता और गंभीरता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

तथापि, उपर्युक्त टिप्पणियों को गुण–दोष के आधार पर निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि प्रतिवादी संख्या 1 इस देश का नागरिक (ब्रिटिश नागरिक है) नहीं है, फिर भी तथ्य यह है कि वह अन्य व्यक्तियों के साथ आपराधिक गतिविधि में लिप्त है। अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से उसके इर्द–गिर्द घूमता है क्योंकि उस पर आपराधिक साजिश का सरगना होने का आरोप है जो उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग करता है। ऐसी परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने विवेकपूर्ण कानूनी धारणा के साथ मामले के तथ्यों की सराहना नहीं की। प्रतिवादी संख्या 1 के लिए कोई विशेष विचार करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि वह एक साधारण तथ्य के आधार पर है कि वह दूसरे देश का नागरिक है। दं.प्र.सं. की धारा 439 के तहत कानून बहुत स्पष्ट है और कानून की नजर में हर आरोपी समान है, चाहे उसकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो। [पैरा 11] [331–एच; 332–ए–सी]

2. यह मामला किसी भी अर्थ में जमानत रद्द करने की मांग करने वाली अपील नहीं है, बल्कि, यह मामला आरोपी–प्रतिवादी को जमानत देने वाले आक्षेपित आदेश की कानूनी स्थिरता की मांग करता है। जमानत रद्द करने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार न करने के लिए जमानत देने के आदेश को कानूनी चुनौती देने के बीच का अंतर एक तय प्रस्ताव है। स्पष्ट करने के लिए, यहां कोई आधार नहीं है कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने वाली एक सुपरवेनिंग घटना उठाई गई है। [पैरा 12] [332–डी–ई]

सीबीआई के माध्यम से राज्य बनाम अमरमणि त्रिपाठी (2005) 8 एससीसी 21 *;प्रकाश कदम बनाम रामप्रसाद विश्वनाथ गुप्ता* (2011) 6 एससीसी 189; *मोहन बनाम राजस्थान राज्य* [2017] 14 SCALE 280 – **संदर्भित।**

<u>आपराधिक अपील संख्या 162 वर्ष 2018:</u>

3. आक्षेपित निर्णय जिसने आपराधिक अपील संख्या 161 वर्ष 2018 में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ समानता के आधार पर इस अपील में प्रतिवादी को जमानत दी। चूंकि उनकी जमानत पहले ही रद्द की जा चुकी है, जिससे उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के आधार पर स्थिति समाप्त हो गई है। अन्यथा भी, यह मामला जमानत की स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 1 को जमानत देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाता है। [पैरा 16] [332–एच; 333–ए–बी]

<u>आपराधिक अपील संख्या 163 वर्ष 2018:</u>

4. पहली बार में उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि इसने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का वस्तुतः निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह अधीनस्थ न्यायालय को अनिवार्य रूप से जमानत देने का आदेश देने वाले ऐसे अनिवार्य आदेश पारित करे। अदालतें अनिवार्य निर्देश जारी नहीं कर सकती हैं जो अधीनस्थ अदालतों की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती हैं। इसलिए, प्रतिवादी द्वारा जमानत प्राप्त करने में किया गया ऐसा घुमावदार तरीका बुरी नीयत से की गई अदालती प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है। इसके अलावा, जमानत देने से पहले उसे भगोड़ा घोषित किया गया था, जिस पर उच्च न्यायालय ने विचार नहीं किया था। इसलिए, उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द किया जाता है और संबंधित अधिकारियों को प्रतिवादी संख्या 1 को हिरासत में लेने का निर्देश दिया जाता है। [पैरा 25] [335–सी–ई]

संदर्भित न्याय विधियाँ

[2005] 3 suppl. एससीआर 454	संदर्भित	पैरा 12
[2011] 6 एससीआर 800	संदर्भित	पैरा 12
[2017] 14 **SCALE** 280	संदर्भित	पैरा 25

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 161 वर्ष 2018.

सी.आर.एम.–एम–36539 वर्ष 2016 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 19.01.2017 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

आपराधिक अपील संख्या 162 और 163 वर्ष 2018.

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता ए. तिवारी, सुश्री एलिजा बार, श्री पाल सिंह।

शुभम भल्ला, रूपम राय, जीवेश नागरथ, सुश्री जसप्रीत गोगिया, विकास महाजन, विशाल महाजन, विनोद शर्मा, प्रतिवादियों के अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय पारित किया गया, द्वारा–

एन. वी. रमन्ना, न्यायमूर्ति.

आपराधिक अपील संख्या 161 वर्ष 2018 @ एस एल पी (आपराधिक) संख्या 3168 वर्ष 2017

1. अनुमति दी गई।

2. यह मामला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा चडीगढ़ में सी.आर.एम.–एम– 36539/2016 में पारित एक आदेश दिनांक 19.01.2017 से उत्पन्न होता है, जिसमें उच्च न्यायालय ने दिनांक 05.11.2015 की एफ.आई.आर. 205/2015, धारा 302, 307, 324, 148 & 149 भा.दं.सं. और आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 27, 54 और 59 के अंतर्गत पंजीकृत मामले में प्रतिवादी संख्या 1 को नियमित जमानत दे दी है।

3. एफ.आई.आर. में आरोप लगाए गए तथ्यों से पता चलता है कि 05.11.2015 को शाम लगभग 5 से 5.15 बजे, जब शिकायतकर्ता का भाई (हरबिलास) और शिंगर चंद अपराध स्थल के पास मौजूद थे, रेशम चंद कलेर (प्रतिवादी संख्या 1 – एक एनआरआई) कुलबीर सिंह और कई अन्य व्यक्तियों के साथ वहां पहुंचे और हरबिलास और शिंगर चंद के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। इस घटना में कुलबीर सिंह पर आरोप है कि उसने शिंगर चंद पर अपनी रिवॉल्वर से गोली चलाई थी। इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया है कि, शिकायतकर्ता के साथ–साथ उसके परिवार के सदस्यों को रेशम चंद कलेर (प्रतिवादी संख्या 1) के साथ सशस्त्र समूहों द्वारा कई चोटें आईं।

4. जांच पूरी होने के बाद एफ.आई.आर. के तहत रिपोर्ट की गई धाराओं के अलावा भा.दं.सं. की धारा 326 और 120 बी जोड़ी गई और संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 सहित आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एक अंतिम रिपोर्ट दायर की गई। हमारे ध्यान में लाया गया है कि उपरोक्त चालान 22.03.2016 को सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और मुकदमा लंबित है।

5. प्रतिवादी संख्या 1 ने पहले जमानत आवेदन 3018/2016 में विचारण न्यायालय का रुख किया, जिसमें विचारण न्यायालय ने 14.09.2016 के आदेश के तहत जमानत याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि, प्रतिवादी संख्या 1 के दोष के बारे में गंभीर आरोप थे और अपराधों की प्रकृति गंभीर थी जो दिन के उजाले में की गई थी।

6. विचारण न्यायालय द्वारा जमानत की अस्वीकृति से व्यथित, प्रतिवादी संख्या 1 ने सी.आर.एम.–एम–36539/2016 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 को सामान्य शर्तों पर जमानत दी है। उच्च न्यायालय के तर्क को उल्लेखित करना उचित होगा–

"सुना।

प्रस्ताव की सूचना।

अदालत के पूछने पर, श्री आशीष सांघी, डीएजी पंजाब, जो अदालत में उपस्थित हैं, सूचना स्वीकार करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि रजिस्ट्री द्वारा याचिका के निर्धारण की सूचना पहले ही प्राप्त हो चुकी है और मामले का अभिलेख उनके पास उपलब्ध है। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप है कि वह घटना में मुख्य साजिशकर्ता था, जिसमें शिंगारा चंद को गोली लगी थी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि शिकायतकर्ता और उसके भतीजे जीवन कलेर को तलवार से घायल कर दिया गया था। यह भूमि विवाद का मामला है। याचिकाकर्ता को इस मामले में 06.11.2015 को गिरफ्तार किया गया था और चालान पहले ही पेश किया जा चुका है। याचिकाकर्ता को कोई चोट नहीं आई है। मामले के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमे के समापन में काफी लंबा समय लगेगा, वर्तमान याचिका को अनुमति दी जाती है।

याचिकाकर्ता–रेशम चंद कलेर को संबंधित विचारण न्यायालय/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ड्यूटी मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार जमानत बन्ध और मुचलके पर नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन है: –

ए) याचिकाकर्ता धारा 437 (3) दं.प्र.सं. में उल्लिखित शर्तों का पालन करेगा।

ख) सुनवाई की किसी भी तारीख पर उनकी अनुपस्थिति की स्थिति में, याचिकाकर्ता को दी गई जमानत का लाभ वापस ले लिया जाएगा। निचली अदालत उनकी जमानत और मुचलके को रद्द करने और कानून के अनुसार उनकी उपस्थिति हासिल करने के लिए आगे बढ़ने के लिए सक्षम होगी। उस स्थिति में याचिकाकर्ता को नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन करना होगा।

ग) वह न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा।

(जोर देते हुए कहा गया)

7. प्रतिवादी संख्या 1 को जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित, अपीलकर्ता ने विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

8. अपीलकर्ता (शिकायतकर्ता) के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपराध की प्रकृति बहुत गंभीर है और उच्च न्यायालय ने बिना सोचे–समझे प्रतिवादी संख्या 1 को जमानत दे दी, भले ही यह देखा कि एक आदतन अपराधी (कुलबीर सिंह) के साथ आपराधिक साजिश के गंभीर आरोप थे, जिस पर तेरह हत्या के मामलों सहित उन्नीस आपराधिक मामलों में आरोपी होने का आरोप है। आगे यह तर्क दिया गया है कि अभिलेख पर मौजूद सबूत स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्थापित करते हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 ने आपराधिक साजिश रची और उसी के पीछा में आरोपी–कुलबीर सिंह के साथ घटना के स्थान पर गए जहां शिंगार चंद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रतिवादी संख्या 1 और कुलबीर सिंह के बीच अपराध स्थल पर जाने की आपराधिक साजिश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, खासकर जब भा.दं.सं. की धारा 149 लगाई गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने अंत में प्रस्तुत किया कि आरोपी –प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जांच की प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ करने की भी संभावना है, लेकिन उच्च न्यायालय ने आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए आरोपी को जमानत दे दी और इसलिए उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने की आवश्यकता है।

9. प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वह एक ब्रिटिश नागरिक है और अपराध की उत्पत्ति एक भूमि विवाद है। प्रतिवादी संख्या 1 की कथित साजिश में भागीदारी विचारण का विषय है और इस अदालत को प्रतिवादी संख्या 1 की संलिप्तता के संबंध में केवल प्रथम दृष्टया दोष का आकलन करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस अदालत को तत्काल मामले का विश्लेषण करते समय जमानत की अस्वीकृति और जमानत रद्द करने के बीच के अंतर को ध्यान में रखना चाहिए।

10. राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता, शिकायतकर्ता के मामले का पूरी तरह से समर्थन करते हुए, इस तर्क से सहमत हैं कि जमानत न्यायशास्त्र के तहत स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ जमानत दी गई थी। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अदालत के अवलोकन के लिए एक विस्तृत जवाबी हलफनामा भेजा है और प्रस्तुत किया है कि आरोपी कुलबीर सिंह एक कुख्यात अपराधी था जिसे यू.एस.ए. से प्रत्यर्पित किया गया था और वह प्रतिवादी संख्या 1 का गुर्गा है जिसके समर्थन से आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता पक्ष पर उनकी जमीन हड़पने के लिए हमला किया। उच्च न्यायालय ने इन सभी भौतिक तथ्यों की अनदेखी की है और प्रतिवादी संख्या 1 को गलत तरीके से जमानत दी है।

11. पक्षकारों की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सभी सामग्री, विशेष रूप से याचिका के साथ दायर कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी) को देखने के बाद, हमारी सुविचारित राय है कि प्रतिवादी–आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, क्योंकि व्यक्तियों के समूह को घातक हथियारों और डंडों का उपयोग करके अपराध करते हुए देखा जाता है। सीडी से अपराध की गंभीरता और गंभीरता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तथापि, उपर्युक्त टिप्पणियों को गुण–दोष के आधार पर निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि प्रतिवादी संख्या 1 इस देश का नागरिक (ब्रिटिश नागरिक) नहीं है, फिर भी तथ्य यह है कि वह

अन्य व्यक्तियों के साथ आपराधिक गतिविधि में लिप्त है। अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से उसके इर्द–गिर्द घूमता है क्योंकि उस पर आपराधिक साजिश का सरगना होने का आरोप है जो उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग करता है। ऐसी परिस्थितियों में, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च न्यायालय ने विवेकपूर्ण कानूनी धारणा के साथ मामले के तथ्यों की सराहना नहीं की। हमें प्रतिवादी संख्या 1 के लिए कोई विशेष विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता है क्योंकि वह एक साधारण तथ्य के आधार पर है कि वह अलग–अलग देश का नागरिक है। दं.प्र.सं. की धारा 439 के तहत कानून बहुत स्पष्ट है और कानून की नजर में हर आरोपी समान है, चाहे उसकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो।

12. उपरोक्त के अलावा, इस मामले को नियंत्रित करने वाले कानूनी सिद्धांतों पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह मामला किसी भी अर्थ में जमानत रद्द करने की मांग करने वाली अपील नहीं है, बल्कि यह मामला आरोपी–प्रतिवादी को जमानत देने वाले आक्षेपित आदेश की कानूनी स्थिरता की मांग करता है। जमानत रद्द करने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार न करने के लिए जमानत देने के आदेश को कानूनी चुनौती देने के बीच का अंतर एक तय प्रस्ताव है। स्पष्ट करने के लिए, यहां कोई आधार नहीं है कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने वाली एक आकस्मिक घटना उठाई गई है। [*सीबीआई के माध्यम से राज्य बनाम अमरमणि त्रिपाठी* का संदर्भ लें, (2005) 8 एससीसी 21; *प्रकाश कदम बनाम रामप्रसाद विश्वनाथ गुप्ता*, (2011) 6 एससीसी 189]।

13. इस भ्रम को दूर करने के बाद, हम स्पष्ट कर सकते हैं, हालांकि प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेश अधिवक्ता द्वारा गंभीरता से आग्रह किया गया है, कि जमानत रद्द करने का कोई वारंट नहीं है क्योंकि जमानत की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, फिर भी इस तरह की दलील कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है।

14. उपरोक्त सभी कारणों से, अपील की अनुमति दी जाती है। इसलिए, हम प्रतिवादी संख्या 1 को जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हैं और संबंधित पुलिस अधिकारियों को प्रतिवादी संख्या 1 को तुरंत हिरासत में लेने का निर्देश दें।

<u>आपराधिक अपील संख्या 162 वर्ष 2018 @ एसएलपी (आपराधिक) संख्या 3167/17</u>

15. अनुमति दी गई।

16. हमने विवादित फैसले का अवलोकन किया है जिसने रेशम चंद कलेर (एसएलपी (आपराधिक) संख्या 3168 वर्ष 2017 में प्रतिवादी संख्या 1) के साथ समानता के आधार पर इस एसएलपी में प्रतिवादी को जमानत दी थी। जैसा कि हमने रेशम चंद कलेर की जमानत को पहले ही रद्द कर दिया है, जिससे उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के आधार पर स्थिति समाप्त हो गई है। अन्यथा भी, हमें नहीं लगता कि यह मामला ऊपर दिए गए कारणों से जमानत की स्वतंत्रता का विस्तार करने के लिए उपयुक्त है। इसलिए, हम अपील की अनुमति देते हैं और प्रतिवादी संख्या 1 को जमानत देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हैं।

<u>आपराधिक अपील संख्या 163 वर्ष 2018 @ एसएलपी (आपराधिक) संख्या 3169 वर्ष 2017</u>

17. अनुमति दी गई।

18. यह प्रतिवादी संख्या 18 की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है। इस एस.एल.पी. में कहा गया है कि वर्तमान–प्रतिवादी का मामला उपरोक्त दो आपराधिक अपीलों में बाकी अभियुक्तों से अलग है। उन्होंने आगे कहा कि उनका नाम एफ.आई.आर. में नहीं है और पुलिस की जांच में वर्तमान–प्रतिवादी की कोई भूमिका सामने नहीं आई है, सबूतों की रिकॉर्डिंग के बाद ही अदालत ने वर्तमान–प्रतिवादी को तलब किया। इसलिए, उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत की स्वतंत्रता का विस्तार किया जाना चाहिए।

19. इसके विपरीत, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों की एक श्रृंखला की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जो यह स्पष्ट करता है कि जमानत बिना किसी विचार के बयानबाजी के आधार पर दी गई थी।

20. न्यायिक मस्तिस्क की गैर प्रयोज्यता को समझने के लिए नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा पारित कुछ आदेशों को नोट करना उपयोगी होगा।

21. 06.10.2016 को, सत्र न्यायालय ने अपराध की गंभीरता और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले में प्रतिवादी की पहली अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

22. इसके बाद, प्रतिवादी ने यहां उच्च न्यायालय में सीआरएम–एम संख्या 40457 वर्ष 2016 के रूप में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित तरीके से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया–

> पीठ ने कहा, "याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता का नाम प्राथमिकी में नहीं है और पुलिस ने याचिकाकर्ता को निर्दोष पाया है। इस प्रकार, उसका चालान नहीं किया गया था। जीवन कालेर के बयान के आधार पर ही याचिकाकर्ता का नाम सामने आया है। उन्होंने आगे कहा कि भले ही याचिकाकर्ता की कोई भूमिका नहीं बताई गई है, लेकिन याचिकाकर्ता अभियोजन का सामना करने के लिए तैयार है। प्रस्ताव की सूचना।

इस स्तर पर, श्री अनिल कुमार स्पेहिया, अधिवक्ता शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए हैं। शिकायतकर्ता की ओर से आज अदालत में पेश किए गए वकालतनामा को अभिलेख पर लिया जाता है। 13.02.2017 को सूचीबद्ध किया जाय। इस बीच, यदि याचिकाकर्ता आज से एक सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करता है, तो उसे विचारण न्यायालय की संतुष्टि के लिए जमानत बॉन्ड और जमानत बांड पर जमानत पर स्वीकार किया जाएगा। (जोर दिया गया)

23. इसके बाद, प्रतिवादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष उच्च न्यायालय के दिनांक 11.11.2016 के आदेश के अनुसार आत्मसमर्पण और जमानत के लिए आवेदन किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 16.11.2016 के आदेश द्वारा जमानत देते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया–

> "आत्मसमर्पण और जमानत के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, इसकी जांच की जाए और इसे सीआरएम–एम–40457 वर्ष 2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित 16 नवंबर, 2016 के आदेश की प्रति के साथ पंजीकृत किया जाए, जिसके तहत आवेदक सुखविंदर सिंह को विचारण न्यायालय की संतुष्टि के लिए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है। आदेश को इस न्यायालय के अहलमद के माध्यम

से सत्यापित किया गया है। उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर, आवेदक को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है। अदालत की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे। वह सुनवाई की प्रत्येक तारीख को अदालत में पेश होंगे। जमानत/मुचलके बांड स्वीकार और सत्यापित किए गए। इस अदालत में लंबित अभियोजन की फाइल के साथ जमानत याचिका के कागजात संलग्न किए जाएं। (जोर दिया गया)

24. पुन: जब यह मामला सीआरएम–एम सं.40457 वर्ष 2016 में उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जो उसके समक्ष लंबित था, तो इसे निम्नानुसार निरर्थक मानते हुए खारिज कर दिया गया था–

"याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि इस न्यायालय के 11.11.2016 के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता ने निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। इसके बाद, याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है। तदनुसार, याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना करने वाली यह याचिका निरर्थक हो गई है। इसे निरर्थक बताकर खारिज कर दिया गया.'' (जोर दिया गया)

25. यह ध्यान रखना दुर्भाग्यिपूर्ण है कि पहली बार में उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि इसने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को वस्तुतः निर्देशित किया है। उच्च न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह अधीनस्थ न्यायालय को अनिवार्य रूप से जमानत देने का आदेश देने वाले ऐसे अनिवार्य आदेश पारित करे। हाल ही में, मदन मोहन बनाम राजस्थान राज्य मामले में इसी तरह के तथ्यों पर इस अदालत ने निर्धारित किया है कि अदालतें अनिवार्य निर्देश जारी नहीं कर सकती हैं जो अधीनस्थ अदालतों की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती हैं। इसलिए, प्रतिवादी द्वारा जमानत प्राप्त करने में किया गया ऐसा घुमावदार तरीका बुरी नीयत से की गई अदालती प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है। इसके अलावा, हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि जमानत देने से पहले उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था, जिस पर उच्च न्यायालय ने विचार नहीं किया था। उपरोक्त के प्रकाश में, हम अपील की अनुमति देते हैं, उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हैं और संबंधित अधिकारियों को प्रतिवादी संख्या 1 को तुरंत हिरासत में लेने का निर्देश देते हैं।

कल्पना के. त्रिपाठी अपील की अनुमति दी गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated and verified by me.

Satyendra Yadav
Advocate
Advocate on Roll : **A/S**0567/2023
Contact No. : 889655173